



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।



Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

एक पक्ष - एक परिवार - एक पृथिवी

संख्या:- 1795

/ FP/UK/OTHERS/29354/2017 देहरादून: दिनांक 28

जनवरी, 2023

सेवा में,

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25-सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 हे० वन भूमि नगर पंचायत गजा को प्रत्यावर्तन हेतु।

सन्दर्भ :-भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक-8बी०/यू० सी०पी०/०९/३६/२०२२/एफ०सी०/९१४ दिनांक-३०.०९.२०२२

महोदय,

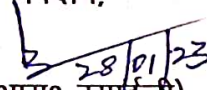
विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 30-09-2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 1500/12-1 दिनांक 18.01.2023 (प्रति संलग्न) से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no-1 the details of other areas examined and the reasons for their rejection are still not provided. Hence, the details regarding the same is required to be submitted by the State Government.	बिन्दु संख्या-01 के क्रम में वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक समरेखण तथा उसे निरस्त किये जाने का विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है (संलग्नक-1)।
2	In reply to point no-2, wildlife mitigation plan uploaded in addl. document on online portal pertains to a transmission line project. State Government is requested to submit the wildlife mitigation plan for the proposal under consideration.	बिन्दु संख्या-01 के क्रम में वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि संशोधित मिटिगेशन प्लान संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)।
3	With reference to point no-3, D.O. latter has been issued by Secretary MoEF&CC on 03-07-2017 according to which Environment Clearance (EC) is required in this case. Therefore, it is requested to update accordingly in the part I and seek EC Clearance from appropriate authority.	बिन्दु संख्या-03 के अनुपालन में वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत का राजपत्र असाधारण भाग-II खंड 3 उप खंड (II) प्राधिकरण से प्रकाशित सं० 861 नई दिल्ली शुक्रवार 8 अप्रैल 2016 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 8 अप्रैल 2016 के अनुसार 05 टन प्रतिदिन से अधिक के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए आवश्यक है, जबकि नगर पंचायत गजा में मात्र 1.0 टन ही है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 08 अप्रैल 2016 की प्रति संलग्न है यदि फिर भी आवश्यक होगा तो भूमि हस्तान्तरण के पश्चात करवा लिया जाएगा क्योंकि यदि किसी कारणवश यदि भूमि हस्तान्तरण नहीं होता है, तो फिर EC का कोई आचित्य नहीं रहेगा (संलग्नक-03)।

4	In reply to point no. 5 map of the plantation area is still not provided. State Government is requested to submit/upload the map for the plantation area.	बिन्दु संख्या-04 के अनुपालन में वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि वनीकरण क्षेत्र के टोपो सीट एवं जी0आई0एस0 मैप ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के भाग-2 के एडिसनल कॉलम में अपलोड कर दिये गये हैं, जिसकी प्रतियां मय संलग्नकों के प्रेषित किये जा रहे हैं (संलग्नक-04)।
5	In reply to point no. 7 it is mentioned that all the muck generated will be utilized. State Government is requested to submit an undertaking in this regard duly authenticated by the concerned DFO.	बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना से उत्सर्जित होने वाले मलवे का निस्तारण उसी स्थल पर समतलीकरण करने हेतु प्रयोग किया जायेगा। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है (संलग्नक-05)।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

 (एस0एस0 रसाईली)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

संख्या / FP/UK/OTHERS/29354/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 1500/12-1 दिनांक 18.01.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

(एस0एस0 रसाईली)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,